अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट अपील संख्या 22/2025
अनवान भगवानसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2026	पत्रावली रेस्पो. संख्या तीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के स्वीकारोंपरांत मुख्यालय जोधपुर पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। हस्तगत अपील वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध विचाराधीन होने से सारहीन हो चुकी है। जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने विधिनुसार मामले को निस्तारित किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक हस्तगत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष का कथन है कि विचारण न्यायालय में मूल वाद का दिनांक 14.01.2026 को निस्तारण हो चुका है। मूल वाद के निस्तारित हो जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन हो चुकी है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	